

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1484]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/आषाढ़ 22, 1937

No. 1484]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015 /ASHADHA 22, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पण्यव्युत्पन्न बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

का.आ.1877(अ).-वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अधीन श्री रमेश अभिषेक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 82), अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग (एफ. एम. सी.), मुंबई के कार्यकाल को 8 जुलाई, 2015 से परे 3 महीनों के लिए या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के साथ वायदा बाजार आयोग के विलय या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, तक बढ़ाते हैं।

[फा.सं. 10/12/2014- सी डी]

सी.के.जी. नायर, सलाहकार (पूंजी बाजार)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(COMMODITY DERIVATIVES MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

S.O.1877(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, the President is pleased to extend the tenure of Shri Ramesh Abhishek, IAS (BH : 82), Chairman, Forward Markets Commission (FMC), Mumbai under the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, for a period of another 3 (three) months beyond 8-7-2015 or till merger of Forward Markets Commission with Securities and Exchange Board of India or until further orders, whichever is the earliest.

[F.No. 10/12/2014-CD]

C.K.G. NAIR, Adviser (Capital Market)

3072 GI/2015